राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–28/2022
दशरथ साह एवं अन्य बनाम् रूबी सिंह।

यह वाद श्री दशरथ साह, पिता–श्री सीताराम साह, ग्राम–मोहीउद्दीनपुर, पोस्ट–बालुकाराम, थाना–वैशाली, जिला–वैशाली (हाजीपुर) एवं अन्य द्वारा श्रीमती रूबी सिंह, पति–श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– मदेरणा, पोस्ट– मदेरणा, थाना–वैशाली, जिला–वैशाली (हाजीपुर), वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज मदेरणा, प्रखण्ड–वैशाली, के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत ग्राम पंचायत राज मदेरणा के मुखिया पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के कम में वादी श्री दशरथ साह एवं अन्य का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलगम द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती रूबी सिंह की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अनिश चन्द्रा द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्रीमती कहकशाँ, वरीय उपसमाहर्ता, वैशाली एवं श्री हरेन्द्र राम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग को बताया गया कि श्रीमती रूबी सिंह द्वारा जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत–मदेरणा के मुखिया का चुनाव जीत लिया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा जालसाजी कर अत्यन्त पिछड़ी जाति हेतु आरक्षित मुखिया पद को प्राप्त कर लिया गया है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा सर्वप्रथम श्रीमती रूबी सिंह के प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1875726, दिनांक–02.08.2021 का अवलोकन कराया गया तथा यह दावा किया गया कि यह प्रमाण–पत्र पटना सदर अंचल, पटना से निर्गत ही नहीं किया गया है तथा इसी प्रमाण–पत्र के आधार पर उनके द्वारा अत्यन्त पिछड़ी जाति का लाभ लिया गया है। उनके द्वारा आयोग को प्रमाण–पत्र पर अंकित कार्यपालक सहायक के पृष्ठांकन का अवलोकन विशेष रूप से कराया गया, जिसमें अंकित है कि **"यह प्रमाण–पत्र पटना सदर अंचल से निर्गत नहीं किया गया है और जाति प्रमाण–पत्र का आई0डी0 भी इस अंचल से संबंधित नहीं है।"** आगे उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप श्रीमती रूबी सिंह के दूसरे जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1600822, दिनांक–13.03.2021 का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें रूबी सिंह का नाम रूबी कुमारी के रूप में अंकित है, परन्तु इनके पिता का नाम सही–सही घनश्याम नारायण एवं माता का नाम सुशीला देवी अंकित है। इस जाति प्रमाण–पत्र में इनकी जाति **"कुर्मी"**

अंकित है, जो कि पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–02) के अन्तर्गत सम्मिलित है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि वास्तव में श्रीमती रूबी कुमारी उर्फ रूबी सिंह **"कुर्मी"** जाति से संबद्ध हैं तथा इन्होनें चुनाव लड़ने के लिए जाली प्रमाण–पत्र बनाया और अपनी जाति को बदल कर **"धानुक"** के रूप में अंकित कर दिया गया। आगे उनके द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, पटना सदर से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त 02 अभिलेखों का अवलोकन कराया गया। उनके द्वारा दिखाया गया कि सुश्री रूबी कुमारी उर्फ रूबी सिंह द्वारा दिनांक–08.02.2021 को आवेदन–पत्र संख्या–BCCCO/2021/769244 द्वारा **"धानुक"** जाति के रूप में प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसे दिनांक–20.02.2021 को अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा Reject कर दिया गया, जबकि दिनांक–10.03.2021 को आवेदन–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1600822 द्वारा **"कुर्मी"** जाति के रूप में प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया था, उसे दिनांक–24.03.2021 को अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। इससे यह स्पष्टः प्रमाणित है कि सुश्री रूबी कुमारी उर्फ रूबी सिंह **"कुर्मी"** जाति से संबंधित हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि वाद मूल रूप से फर्जी प्रमाण–पत्र के इस्तेमाल एवं इसके द्वारा लाभ लिए जाने से संबंधित है, जो कि प्रमाणित है। नामांकन एवं संवीक्षा की तिथियों को इनके द्वारा संलग्न किया गया प्रमाण–पत्र फर्जी पाया गया है, अतएव ये आरक्षण कोटि का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि इस तिथि को इनकी वैधानिक स्थिति "सामान्य जातियों" (गैर आरक्षित) के समरूप है। अतः इन्हें अविलम्ब पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 के तहत पद मुक्त किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिश चन्द्रा द्वारा बताया गया कि वादी के द्वारा जिस फर्जी प्रमाण–पत्र का जिक्र किया जा रहा है, वो उनका नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्होनें अपना लिखित जवाब दाखिल किया है तथा उसमें श्रीमती रूबी कुमारी का पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संलग्न है, जिसमें इनकी जाति **"धानुक"** अंकित है। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके पूर्वज पूर्व से ही **"धानुक"** हैं तथा उन्होनें **"कुर्मी"** जाति होने से पूर्णतः इन्कार किया।

प्रतिवादी द्वारा लिखित जवाब में दावा किया गया है कि विचाराधीन वाद Mala fide intention से लाया गया है तथा यह गलत एवं अपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। अतः यह सुनवाई योग्य नहीं है। आगे उनके द्वारा दावा किया गया है कि वादी को इस वाद को

संस्थित कराने का Locus Standi नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि यह एक Election Dispute है, जिसकी सुनवाई की अधिकारिता राज्य निर्वाचन आयोग में निहित नहीं है। उनके द्वारा आगे दावा किया गया है कि उनके मुवक्किल विवाह के पूर्व एवं विवाह के पश्चात् भी "**धानुक**" जाति की हैं। आगे उन्होनें दावा किया है कि उनके पिता श्री घनश्याम नारायण जो पटना जिला के निवासी हैं, "**धानुक**" जाति के है और उनके भाई श्री विक्रम कुमार पटेल भी "**धानुक**" जाति के हैं। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा मुवक्किल के भाई श्री विक्रम कुमार पटेल का जाति प्रमाण–पत्र (संख्या–9973, दिनांक–09.08.1994) तथा अपने मुवक्किल श्रीमती रूबी कुमारी का जाति प्रमाण–पत्र (संख्या–4822, दिनांक–27.08.1990) की छायाप्रति को संलग्न किया गया है। दोनों ही प्रमाण–पत्रों में जाति "**धानुक**" अंकित है तथा दोनों ही प्रमाण–पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना सदर के कार्यालय से निर्गत बताया गया है। इसके अतिरिक्त श्रीमती रूबी कुमारी के नाम से निर्गत एक अन्य जाति प्रमाण–पत्र संख्या–601560, दिनांक–13.01.2016 को भी संलग्न किया गया है, जिसमें रूबी कुमारी की जाति "**धानुक**" अंकित है।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन में वादी के विद्वान अधिवक्ता के फर्जी प्रमाण–पत्र होने के दावें की पुष्टि की गई है। उनके द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन द्वारा आयोग को यह बताया गया कि श्रीमती रूबी सिंह द्वारा नामांकन के समय नामांकन में उपयोग किया गया जाति प्रमाण–पत्र फर्जी (Fake) पाया गया है। उनके द्वारा पत्रांक–24–08–22/784/जि0पं0, दिनांक–13.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती रूबी सिंह द्वारा नामांकन के समय नामांकन–पत्र के साथ संलग्न किए गए प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1875726, दिनांक–02.08.2021 का सत्यापन जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा कराया गया है। सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार उक्त प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1875726, दिनांक–02.08.2021 पटना सदर अंचल कार्यालय के RTPS Portal पर दर्ज नहीं है, अर्थात यह प्रमाण–पत्र पटना सदर अंचल कार्यालय से निर्गत नहीं है।**

6. **आयोग द्वारा अधिवक्ता द्वय के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर) के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध**

साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत/निर्णय निम्नवत हैः–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण श्रीमती रूबी सिंह द्वारा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए मदेरणा ग्राम पंचायत के मुखिया पद पर निर्वाचित होना है।''

आयोग वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा निर्वाचन के समय प्रयोग में लाए गए जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1875726, दिनांक–02.08.2021 के फर्जी (Fake) प्रमाणित हो जाने पर संवीक्षा के प्रथम तिथि को श्रीमती रूबी सिंह की वैधानिक स्थिति सामान्य जाति (गैर आरक्षित) के सदस्यों के समान हो जाती है, क्योंकि जाति प्रमाण–पत्र ही किसी व्यक्ति के जाति को प्रमाणित करने का वैधानिक अभिलेख है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा समर्पित किया गया जाली प्रमाण–पत्र उनके द्वारा संलग्न नहीं किया गया है तथा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत),वैषाली (हाजीपुर) द्वारा उपलब्ध कराए प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रीमती रूबी सिंह द्वारा नाम निदेषन पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1875726, दिनांक–02.08.2021 ही संलग्न किया गया है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि उनको तथा उनके रक्त संबंधियों को ''धानुक'' जाति का प्रमाण–पत्र पहले से ही प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जबकि जाति प्रमाण–पत्र एक स्थाई दस्तावेज है तथा इसकी वैधता धारक के जीवन पर्यन्त बनी रहती हैं, तो प्रतिवादी द्वारा निर्वाचन(नामांकन) के समय इनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में उनके द्वारा कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

चूँकि यह प्रमाणित हो चुका है कि श्रीमती रूबी सिंह द्वारा नामांकन के समय नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया गया जाति प्रमाण–पत्र फर्जी है। अतएव इनको किसी अन्य प्रमाण–पत्र, जो नामांकन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है, के आधार पर संवीक्षा की तिथि को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। **इस प्रकार इनके द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–135 के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई है, क्योंकि संवीक्षा की तिथि को इनकी वैधानिक स्थिति सामान्य जाति (गैर आरक्षित) के समान है। फलतः बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथा संशोधित) की धारा–136 (2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती रूबी सिंह को**

तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत मदेरणा, प्रखण्ड–वैशाली जिला–वैशाली (हाजीपुर) के मुखिया के पद से पदमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही उक्त ग्राम पंचायत मदेरणा, प्रखण्ड–वैशाली जिला–वैशाली (हाजीपुर) मुखिया का पद रिक्त समझा जायेगा।

(ख) जिला पदाधिकारी वैशाली(हाजीपुर), श्रीमती रूबी देवी के विरूद्ध धोखाधड़ी/जालसाजी करने हेतु नियमानुसार विधिक कार्रवाई के लिए जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र है। इस संबंध में इनके स्तर से अनुवर्ती कार्रवाई वांछनीय है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.09.2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–

(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.09.2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–28/2022 3592 पटना, दिनांक–5 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/09/22
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–28/2022 3592 पटना, दिनांक–5 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/09/22
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–28/2022 3592 पटना, दिनांक–5 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि–वादी श्री दशरथ साह, पिता–श्री सीताराम साह, ग्राम–मोहीउद्दीनपुर, पोस्ट–बालुकाराम, थाना–वैशाली, जिला–वैशाली(हाजीपुर), बिहार तथा प्रतिवादी श्रीमती रूबी सिंह,पति–श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम– मदेरणा, पोस्ट– मदेरणा, थाना–वैशाली, जिला–वैशाली (हाजीपुर), को सूचनार्थ प्रेषित।

05/09/22
विशेष कार्य पदाधिकारी